

पंजाब नैशनल बैंक ρυησο national bank ... भरोसे का प्रतीक!

प्र.का.: 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 607 (ई-मेल: hosd@pnb.co.in)

सूचना

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2000 के विनियम 56 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की 16वीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार, 29 जून, 2017 को प्रात: 10.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कालेज, 8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली - 110054 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्न कार्य किये जायेंगे :-

1. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा तथा 31 मार्च, 2017 की लेखा अविध के लिए बैंक की कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, स्वीकार करना एवं अपनाना।

2. बैंक में एक शेयरहोल्डर डायरेक्टर का चुनाव

निम्निलिखित संकल्प पारित करके बैंक के शेयरधारकों में से केन्द्र सरकार को छोड़कर ऐसे एक निदेशक को चुनना जिनके संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (जिसे इसके बाद 'बी आर अधिनियम' कहा गया है) के साथ पिठत बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में अधिनियम कहा गया है) की धारा 9(3)(i) के अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हुए हों, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (जिसे इसके बाद 'योजना' कहा गया है) और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2000 (जिसे इसके बाद 'पीएनबी विनियमन'' कहा गया है) एवं भारतीय रिजर्व बैंक की 01.11.2007 की अधिसूचना संख्या डीबीओडी सं. बीसीसं. 46 व 47/29.39.001/2007-08 एवं 23.05.2011 की अधिसूचना संख्या डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 (जिसे इसके बाद ''भा.रि.बैंक अधिसूचना'' कहा गया है) तथा भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार हो।

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार किया गया और यदि सही पाया गया तो संशोधन के साथ अथवा संशोधन के बिना पास किया गया :-

"संकल्प पारित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरहोल्डरों के मध्य चयनित कोई एक निदेशक प्रासंगिक योजना सिहत पठित अधिनियम के खंड 9(3)(i) के अनुसार तथा आरबीआई अधिसूचना के अंतर्गत बनाए गए विनियमन एवं एतदद्वारा परिणामों की घोषणा के पश्चात के दिन से ही बैंक का कार्यभार संभालेंगे तथा पदधारण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि की पूर्ण होने तक कार्यालय में बने रहेंगे"।

> बोर्ड के निदेशकों के आदेशानुसार कृते पंजाब नैशनल बैंक

(सुनील मेहता)

(सुनाल महता)

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 16-05-2017



Head Office: 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi – 110 607 (email – hosd@pnb.co.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to regulations 56 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000, 16th Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab National Bank will be held on Thursday, the 29th June, 2017, at 10.00 A.M. at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi-110054 to transact the following business:

 To consider and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2017, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2017, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Financial Statements.

2. Election of one Shareholder Director of the Bank

To elect **ONE** Director from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, (hereinafter referred to as "**Act**") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "**B R Act**"), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "**Scheme**") and the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as "**PNB Regulations**") and Notification Nos. DBOD. No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 and No. DBOD.NO. BC.No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23-05-2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "**the RBI Notification**") and the extant Government of India (GOI) Guidelines.

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following Resolution:

"RESOLVED THAT one Director elected from amongst shareholders other than the Central Government, pursuant to Section 9(3) (i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made there under and RBI Notification, be and is hereby appointed as the Director of the Bank to assume office from the day after the declaration of results and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By order of the Board of Directors For Punjab National Bank

(Sunil Mehta)
Managing Director & CEO

Place: New Delhi Date: 16.05.2017



व्याख्यात्मक कथन

शेयरधारक निदेशकों का निर्वाचन

शेयरधारकों को निदेशक के चुनाव का अधिकार

निदेशकों का निर्वाचन करने के लिए शेयरधारकों का अधिकार भारत सरकार के अलावा शेयरधारक बैंक के पूंजी के 34.99% धारक हैं। अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसार, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक के शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अलावा) का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम तीन निदेशक रखने का पात्र है। वर्तमान में बोर्ड में एक शेयरधारक निदेशक का पद खाली है।

तदनुसार, रिक्तियों को बैंक की दिनांक 29.06.2017 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशक का पद भरा जाएगा।

अत: शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) अपना नामंकन भेजने के पात्र हैं अथवा सम्बद्ध अधिनियम, बी आर अधिनियम, योजना, पीएनबी विनियमन, अधिसूचना जिनके संबद्ध अंश इसमें दिये गये हैं, की विस्तृत प्रक्रिया अनुसार चुनाव लड़ सकते हैं। चुने गये निदेशक पदभार ग्रहण करेंगें और पदभार ग्रहण करने की तिथि या परिणामों की घोषणा की तिथि से जो भी बाद में हो तीन वर्ष की अविध तक के लिए बने रहेंगें।

कानूनी प्रावधान

इस मामले से संबंधित विभिन्न अधिनियमों/योजनाओं/पीएनबी विनियमों/ अधिसूचना में दिए प्रावधान निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं:

अधिनियम/योजनाओं/विनियमन/	प्रावधान
अधिसूचना	
बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949	धारा 20
बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन एवं	धारा 3(2ई), धारा 9(3)(i),
अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 9(3ए)(ए) से (सी),
	धारा९(३एए), धारा९(३एबी),
	धारा9(3बी), धारा13(2)
राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंधन एवं विविध	खंड 9(4), खंड10, खंड11,
प्रावधान) योजना, 1970	खंड११ए, खंड११बी, खंड
	12(8)
पंजाब नैशनल बैंक(शेयर एवं बैठकें)	विनियम 10, 61ए से 70
विनियम,2000	
भारतीय रिजर्व बैंक की की अधिसूचना	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का
संख्या दिनांक 1.11.2007 डीबीओडी सं.	
बीसीसं. 46 व 47/29.39.001/2007-08	
एवं 23.05.2011 की अधिसूचना	
संख्या डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.	
001/2010-11	राष्ट्रीयकृत बैंक के बोर्ड में
	चयनित निदेशकों के लिए
	सक्षम और उपयुक्त मानदंड
सेबी दिशानिर्देश- परिपत्र संख्या :	इलैक्ट्रानिक वोटिंग
सीआईआर/सीएफडी /पॉलिसी सेल/ 2/	
2014 दिनांक 17.04.2014	

EXPLANATORY STATEMENT

Election of Shareholder Director

RIGHTS OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTOR

Shareholders other than GOI hold 34.99 % of the share capital of the Bank. As per Section 9(3) (i) of the Act, Bank is entitled to have a maximum of three Directors representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government). At present there is one vacancy of Shareholder Director on the Board.

Accordingly, the vacancy shall be filled in the Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Bank on 29.06.2017.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations, if eligible, as per the procedure detailed in relevant Act, B R Act, Scheme, PNB Regulations, Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder. The elected director will assume office from the day after the declaration of results and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Scheme / PNB Regulations / Notification governing the matter.

ACTS / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATION	PROVISIONS
Banking Regulations Act, 1949	Section 20
Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E), Section 9 (3) (i), Section 9 (3A) (A) to (C), Section 9(3AA), Section 9(3B), Section 9(3B) Section 13(2)
The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9 (4), Clause 10, Clause 11, Clause 11A, Clause 11B, Clause 12(8)
Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000	Regulation 10, 61A to 70
Reserve Bank of India Notification No. DBOD.No.BC. No.46&47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9 (3AA) and Section 9 (3AB) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 – Fit and Proper criteria for elected Directors on the Boards of the nationalized banks.
SEBI guidelines – circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/2/2014 dated 17.04.2014	Electronic voting

कंपनी(प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 यथासंशोधित कंपनी(प्रबंधन और प्रशासन)	खंड 20 इलैक्ट्रानिक माध्यम
संशोधन नियम,2015	से वोटिंग
वित्तीय सेवाएं प्रभाग, वित्त मंत्रालय,	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में
भारत सरकार पत्र सं.एफसं.	अंशकालिक गैर अधिकारिक
16/83/2013-बीओआई 03.09.2013 और	निदेशकों की नियुक्ति हेतु
अंशकालिक गैर- अधिकारिक निदेशक	दिशानिर्देश
के चयन हेतु दिशानिर्देश दिनांक 01.	
06.2011 के पत्र 16/17/2010बीओआई	
दिनांक 13/10/2011 और नामांकन भरने	
की तिथि तक् इसमें आगामी संशोधनों	
के अनुसार	

उपर्युक्त प्रावधानों का सारांश नीचे दिया गया है :

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

धारा 20 में इसके किसी निदेशक को या उसकी ओर से ऋण या अग्रिम मंजूर करने पर कुछेक सीमाओं का उल्लेख है।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

- धारा 3 (2ई) में केन्द्र सरकार से भिन्न किसी शेयरधारकों के मतदान अधिकार को सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के 10 प्रतिशत तक सीमित किया गया है।
- धारा 9(3) (i) में ऐसे बैंकों में शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या निर्धारित की गई है।
- धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) में कुछ योग्यताएं/शर्ते निर्धारित की गई
 हैं जिनमें विनिर्दिष्ट है कि धारा 9(3)(i) के तहत नामित किए जाने वाले निदेशकों को कुछेक क्षेत्रों का विशेष ज्ञान होना चाहिए।
- धारा 9 (उएए) और (उएबी) में है कि कोई भी व्यक्ति तब तक निदेशक के पद पर चुने जाने हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि वह उसके विगत रिकार्ड, निष्ठा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचना संख्या: डीबीओडी.नं. बीसी.नं. 46 तथा 47/29. 39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 तथा डीबीओडी.नं. बीसी.न.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के जिरए अधिसूचित किए गए मानदंडों के आधार पर सक्षम और उपयुक्त स्तर का न हो।
- धारा 9 (3बी) में भारतीय रिजर्व बैंक को उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत इस प्रकार चुने गए निदेशक को हटाने का अधिकार दिया गया है जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।
- धारा 13 (2) में तीसरी अनुसूची में दिए गए निष्ठा तथा गोपनीयता की घोषणा के अनुरूप होना चाहिए।

The Companies (Management & Administration) Rules 2014 As amended by The Companies (Management & Administration) Amendment Rules 2015	Rule 20 – Voting through electronic means
Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India letter no. F. No. 16/83/2013 – BOI dated 03.09.2013 and guidelines for selection of part time Non-Official Director vide letter no. 16/17/2010-BO.I dated 13.10.2011 as on 01.06.2011 and subsequent amendments thereto as on date of filing of nominations.	Guidelines for appointment of part time Non-Official Directors in Public Sector Banks.

THE GIST OF THE ABOVE MENTIONED PROVISIONS IS DESCRIBED HEREIN BELOW:

Banking Regulation Act, 1949

Section 20 places certain restrictions for granting any loan or advance to or on behalf of any of its directors.

Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

- Section 3 (2E) restricts the voting right of a shareholder other than the Central Government to Ten per cent of the total voting rights of all the shareholders.
- Section 9(3) (i) prescribes the maximum number of directors to be elected by the shareholders.
- Section 9 (3A) (A) to (C) prescribes qualifications and special knowledge in certain fields for the directors to be nominated under Section 9 (3) (i).
- Section 9 (3AA) and (3AB) prescribes that no person shall be eligible to be elected as director unless he/she is a person having "Fit and Proper" status based upon track record, integrity and such other criteria as per Reserve Bank of India Notification Nos.DBOD.No.BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 read with DBOD.No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011.
- Section 9(3B) deals with the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9(3) (i) of the aforesaid Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) and Section 9(3AA) of the said Act.
- Section 13 (2) deals with the obligation as to declaration of Fidelity and Secrecy in the form set out in the Third Schedule.



राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970

- खंड 9(4) में कहा गया है कि कोई भी निर्वाचित निरेशक तीन वर्ष के लिए पद पर रहेगा और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होगा परन्तु ऐसा कोई निरेशक लगातार 6 वर्ष से अधिक अविध के लिए पद पर नहीं रहेगा।
- खंड 10 में निदेशकों के लिए कुछेक अयोग्यताएं विनिर्दिष्ट है।
- खंड 11 निदेशकों द्वारा पद रिक्त किए जाने से संबंधित है।
- खंड 11ए ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां अधिनियम की धारा 9(3)
 (i) के तहत निर्वाचित निर्देशक को हटाया जा सकता है और उसके स्थान पर रिक्त पद को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को चुना जा सकता है।
- खंड 11बी आकस्मिक रिक्तियों को भरने से संबंधित है।
- खंड 12 (8) निदेशकों द्वारा कितपय जिनमें उनका हित है, के संबंध में हितों के प्रकटीकरण से संबंधित है।

पंजाब नैशनल बैंक(शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2000

- विनियम 10 में शेयरों की संयुक्तधारिता के मामले में मतदान अधिकार निश्चित किए गए हैं।
- विनियम 61ए से 70 निदेशक के पद पर चुने जाने हेतु प्रत्याशी के रूप में किसी व्यक्ति को नामित करने हेतु कुछेक शर्ते और चुनाव आयोजित करने की प्रक्रिया तथा अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित हैं।

सेबी दिशानिर्देश - परिपत्र स0. CIR/CFD/POLICY-CELL/2/2014 दिनांक 17.04.2014 में उल्लेख है कि कम्पनी (प्रबन्धन और प्रशासन) नियम, 2014 दिनांक 19.03.2015 को संशोधित की शर्तों में शेयरधारकों की साधारण बैठक में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

खंड 20 इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा वोटिंग की प्रकिया का विश्लेषण करता है। खण्ड 20(ii) की शर्तों के अनुसार इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा वोट की पात्रता निश्चित करने की कट ऑफ तिथि या सामान्य बैठक की तिथि सामान्य बैठक से 7 दिन पूर्व से कम की तिथि नहीं होगी।

वेबसाइट में अधिनियम⁄ योजना⁄ विनियमन⁄ अधिसूचना के प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए सम्बद्ध बी आर अधिनियम, अधिनियम, पीएनबी विनियमन, योजना तथा भा.रि.बैंक की अधिसूचना बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in (निवेशक सूचना पृष्ठ) है और इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

उम्मीदवार के लिये योग्यतायें

- उम्मीदवार को अधिनियम की धारा 9(3ए) में यथानिर्धारित योग्यताओं को पूरा करना होगा तथा योजना की धारा 10 में विनिर्दिष्ट अनर्हता वाला न हो तो विनियमन के विनियम 65 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करेगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है।
 - अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसरण में उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है एवं अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अधीन बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक है, के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए।

Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970

- Clause 9(4) provides that an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.
 Provided that no such Director shall hold office for a period exceeding six years.
- Clause 10 specifies certain disqualifications for directors.
- Clause 11 deals with vacation of office by directors.
- Clause 11 A deals with the situation where a director elected under Sec. 9(3) (i) of the Act may be removed and another person in his stead be elected to fill the vacancy.
- Clause 11B deals with casual vacancy.
- Clause 12(8) deals with disclosure of interest by directors, in certain arrangements in which they are interested.

Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000

- Regulation 10 determines the voting rights in the case of joint holding of shares.
- PNB Regulations 61A to 70 prescribes certain conditions for nominating a person as a candidate for election as a Director, the procedure for conducting an election and deals with other incidental matters.

SEBI Guidelines – circular no. CIR/CFD/POLICY-CELL/2/2014 dated 17.04.2014 mandates that e-voting should be facilitated in General Meetings of shareholders in terms of The Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended on 19.03.2015.

Rule 20 enumerates the procedure for voting through electronic means. In terms of Rule 20 (ii), cut-off date for determining eligibility to vote by electronic means or in the General Meeting shall be a date not earlier than 7 days before the General Meeting.

PROVISIONS OF ACTS/ SCHEME/ REGULATION/ NOTIFICATION IN WEBSITE

For the convenience of the shareholders, the relevant B R Act, the Act, the PNB Regulations, the Scheme as well as RBI Notifications are hosted on the Bank's website <u>www.pnbindia.in</u> – (Investor Info page), which are downloadable.

QUALIFICATION FOR A CANDIDATE

- The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9 (3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the PNB Regulations, which are detailed herein.
 - In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as a Director of the Bank under Section 9 (3)(i) of the Act shall:

- (क) उसे निम्नलिखित मामलों में एक या अधिक का विशेष ज्ञान या (A) व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :
 - i. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - ii. बैंकिंग
 - iii. सहकारिता
 - iv. अर्थशास्त्र
 - v. वित्त
 - vi. विधि
 - vii. लघु उद्योग
 - viii. किसी अन्य मामले में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक के मतानुसार जो बैंक के लिए उपयोगी हो।
- (ख) वह जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो अथवा
- (ग) वह किसानों, कामगारों और शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।
 - II. उक्त अधिनियम की धारा 9(3एए) और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार बैंक का शेयरधारक होने के नाते और बैंक के निदेशक पद के लिए नामांकन पद करने वाले प्रत्याशी को 'सक्षम एवं उपयुक्त' हैसियत वाला होना चाहिए।
 - III. इसके अतिरिक्त, निर्वाचित निरेशक को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना होगा और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करनी होगी।

बैंक के निदेशक के रूप में चयन के लिए अनर्हतायें

- अ. राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 10 के अनुसरण में कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक बनने के लिए अयोग्य होगा:-
 - (क) यदि वह किसी भी समय दिवालिया न्यायिनर्णीत हुआ हो, या उसने ऋण अदा न किया हो या लेनदारों के साथ समझौता किया हो, अथवा
 - (ख) यदि वह विकृत मन का हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा
 - (ग) यदि वह किसी जुर्म में आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता निहित हो, अथवा
 - (घ) यदि वह किसी पूर्णकालिक निदेशक, प्रबन्ध निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) एवं (एफ) के अधीन बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के पद के सिवाय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा की उपधारा(1) की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में कोई लाभ का पद धारित करता हो और
- (आ) भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी.नं.बीसी.नं.46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओडी.नं.बीसी. नं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अधीन बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा यदि वह 'सक्षम एवं उपयुक्त हैसियत' वाला न हो।

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:
 - i. agriculture and rural economy,
 - II. banking,
 - III. co-operation,
 - IV. economics,
 - V. finance,
 - VI. law,
 - VII. small scale industry.
 - VIII. any other matter the special knowledge of and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.
- (B) represent the interest of depositors; or
- (C) represent the interest of farmers, workers and artisans.
 - II. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notifications a candidate being a shareholder of the Bank and who files nomination to be a Director of the Bank should possess 'Fit & Proper status'.
 - III. Further, the elected directors should execute the Deed of Covenants and are required to furnish annual declarations, as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- (A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:-
 - a. if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - d. if he holds any office of profit under any nationalized bank or State Bank of India constituted under subsection (1) of Section 3 of the State Bank of India Act , 1955 except for holding the post of a wholetime director, including the Managing Director and directors nominated under clause (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and.
- (B) If he/she is not found to be 'fit and proper' person, by the Nominations Committee of the Directors of the Bank in terms of RBI Notifications No. DBOD.No.BC.No.46 & 47/ 29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and extant Government guidelines.



अंशकालिक गैर- आधिकारिक निदेशकों (एनओडी) के चयन हेतु दिशानिर्देशों का सार:

यदि निदेशक बैंक/एफआई के किसी भी श्रेणी के तहत पहले ही शामिल हैं, तो उस पर किसी भी अन्य बैंक/एफआई के गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में मनोनीत करने के लिए विचार नहीं जा सकता।

किसी भी व्यक्ति को बैंक/एफआई के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में फिर से मनोनीत नहीं किया जा सकता जिसने किसी भी श्रेणी के तहत दो कार्यकालों या छ: वर्षों जो भी अधिक हो के लिए पूर्व में निदेशक के रूप में सेवाएं दी हों।

बैंक/वित्तीय संस्थान के निदेशक के रूप में मनोनीत के एनओडी पर विचार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा निदेशक पहले ही छ: वर्षों के लिए, चाहे नियमित या बीच बीच में किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान के बोर्ड में गैर अधिकारिक निदेशक/शेयरधारक निदेशक हैं।

निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अंशकालिक एनओडी के चयन के लिए सरकार के दिशानिर्देश शेयरधाक निदेशकों के चुनाव हेतु भी लागू होंगे।

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र संख्या एफ.सं. 16/83/2013-बीओआई दिनांक 3/9/2013 और 01/06/2011 तथा इसके पश्चात हुए संशोधन एवं नामांकन की भरने की तारीख तक अन्य दूसरे संशोधन के अनुसार पत्र संख्या 16/17/2010-बीओआई दिनांक 13/10/2011 द्वारा अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के चयन हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्ण ब्यौरे।

प्रत्याशियों को शेयरधारकों की सूची

बैंक के शेयरधारकों की सूची, जिसकी 19.05.2017 (कट-ऑफ तिथि 1) है, "पंजाब नैशनल बैंक," नई दिल्ली/दिल्ली के पक्ष में, देय अधिसूचित बैंक के मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के जिए रू. 50,000/-(रुपये पचास हजार केवल) का भुगतान करने पर बिक्री के लिए दिनांक 23.05.2017 से कंपनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग प्रधान कार्यालय 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 से उपलब्ध होंगी। इच्छुक प्रत्याशी शेयरधारकों के रिजस्टर का निरीक्षण भी कर सकते हैं और उससे उद्धरण निकाल सकते हैं।

शेयर धारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, पंजाब नैशनल बैंक, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, 5-संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 में दिनांक 23.05.2017 से 14.06.2017 तक सभी कार्यदिवसों में दोपहर 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुला रहेगा जिससे प्रत्याशी शेयरधारक रजिस्टर के किसी भाग के उद्धरण ले सके या सम्बन्धित भाग को कम्प्यूटर प्रिंट लेने का बैंक से अनुरोध कर सके जिसके लिए उन्हें 5/- रूपये प्रति हजार शब्द या उसके अंश की दर से उसका पूर्व भूगतान करना होगा।

निर्वाचन में भागीदारी

19.05.2017 को (कट-ऑफ तिथि।)एनएडीएल/सीडीएसएल/एसटीए द्वारा तैयार लाभग्राहियों/ शेयरधारकों के रिजस्टर में जिन शेयरधारकों के नाम हैं वे निर्वाचन में भाग लेने के हकदार हैं अर्थात् केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों के बीच में से निदेशकों के निर्वाचन में नामांकन करने, चुनाव के हकदार हैं।

Gist of Guidelines for selection of part time Non-Official Director (NOD)

A Director already on the Board of a Bank/FI, under any category, may not be considered for nomination as NOD on any other Bank/FI.

No person may be re-nominated as a NOD on the Board of a Bank/FI on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years, whichever is longer.

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI if such Director has already been a NOD/shareholder-Director on the Board of any other Bank/FI for six years, whether continuously or intermittently.

The age of the Director should not be more than 67 years.

Government guidelines for selection of part time NODs shall be applicable for election of Shareholder Directors also

Full details are as per Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India letter no. F. No. 16/83/2013 – BOI dated 03.09.2013 and guidelines for selection of part time Non-Official Director vide letter no. 16/17/2010-BO.I dated 13.10.2011 as on 01.06.2011 and subsequent amendments thereto as on date of filing of nominations.

LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS

A list of shareholders of the Bank as on 19/05/2017 (Cut-off Date1) will be available for sale on and from 23/05/2017 on pre-payment of Rs.50,000/- (Rupees fifty thousand only) by a demand draft/pay order of a Scheduled Bank in favour of "Punjab National Bank" payable at New Delhi/Delhi along with a request addressed to the Company Secretary, Punjab National Bank, Finance Division, Share Department, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001. The intending candidates may also inspect the Register of shareholders and take extracts there from.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of shareholders will be open for inspection by the shareholders, with the Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001, on all working days commencing from 23.05.2017 till 14.06.2017 between 3.00 p.m. and 5.00 p.m. on weekdays for the purpose of enabling the candidates to take extracts of any part from the Register of Shareholders or request the Bank for computer prints of the relevant portions, on prepayment of an amount to be calculated at the rate of Rs. 5/- for every thousand words or part thereof.

PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL/Share Transfer Agent (STA) as on 19/05/2017 (Cut-off Date1) shall be entitled to nominate and contest the election of Director from amongst Shareholders other than the Central Government.

नामांकन :

नामांकन की वैधता

पी.एन.बी. विनियमन के विनियम 65 और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी.नं.बीसी.नं.46 तथा 47/29.39.001/2010-11 दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओडी.नं. बीसी.नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अधीन निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा किंतु उपबंध यह है कि:

- क) दिनांक 19.05.2017 (कट ऑफ तिथि 1) को पंजाब नैशनल बैंक में कम से कम 100 शेयर (एक सौ शेयर) धारित / शेयरधारक हो तथा दिनांक 29.06.2017 तक कम से कम 100 शेयर धारित करता रहे और उसके बाद भी अगर वह निर्वाचित होता है/होती है।
- ख) वह बीआर एक्ट, एक्ट, योजना, पीएनबी विनियमन अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अधीन निदेशक नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तारीख यथा 14.06.2017 को निदेशक होने के अयोग्य घोषित न किया गया हो।
- ग) नामांकन लिखित रूप से हो और उस पर इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को निर्वाचित करने के लिए हकदार कम से कम 100 शेयरधारकों या उनके द्वारा सम्यक रूप से नियत अटार्नी के हस्ताक्षर हों परंतु यह कि यदि शेयरधारक कोई, निगमित निकाय हो तो उक्त निगमित निकाय के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकता है और जहां ऐसा किया जाता है, वहां जिस बैठक में यह पारित किया गया हो उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की एक सत्यप्रति बैंक के कम्पनी सचिव, पंजाब नैशनल बैंक, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 के नाम प्रेषित की जाएगी और उक्त प्रति को ऐसी कम्पनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।
- घ) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किसी न्यायाधीश, जिलाधीश, आश्वासन रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपितत अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का घोषणा पत्र नामांकन के साथ संलग्न किया गया है कि उसे नामांकन स्वीकार है और वह निर्वाचन के लिए खड़ा होने का इच्छुक है तथा वह बी आर एक्ट या इस अधिनयम या इस योजना या पीएनबी विनियमों या आरबीआई अधिसूचना या भारत सरकार के दिशानिर्देश के अधीन निदेशक होने के अयोग्य नहीं है।
- ड़) इस नोटिस के साथ नामांकन फार्म और विनियमन द्वारा यथानिर्धारित घोषणा फार्म और प्रोफार्मा संलग्न है। इन प्रपत्रों सहित संपूर्ण नोटिस बैंक की वेबसाइट : www.pnbindia.in (निवेशक सूचना पृष्ठ) पर भी उपलब्ध है।

नामांकन फार्मों का प्रस्तुत किया जाना :

ये सभी इस नोटिस के साथ भेजे गये प्रारूपों में 'मोहरबंद लिफाफे में' कंपनी सचिव, श्रेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110 001 को सभी दृष्टियों से पूर्ण सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ बैठक की तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व किसी कार्य दिवस को अर्थात्

NOMINATIONS:

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the PNB Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India – DBOD.No.BC.No.46 and 47/29.39.001/2010-11 dated 01.11.2007 and DBOD No. BC No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a director will be valid provided:

- He/she is a shareholder holding as on 19/05/2017 (Cut-off Date1), a minimum of 100 (one hundred) shares in Punjab National Bank and continue to hold a minimum of 100 shares till 29/06/2017 and thereafter if he/she is elected.
- b. As on 14/06/2017 being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be a director under the B R Act, the Act, the Scheme, the PNB Regulations or RBI Notifications.
- c. The nomination is in writing signed by at least 100 shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Corporate Body may be made by a resolution of the Directors of the said Corporate Body and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Company Secretary, Punjab National Bank, Finance Division, Share Department, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- d. The nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or Officer of Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election and that he is not disqualified from being a director, either under the B R Act or the Act or Scheme or the PNB Regulations or RBI Notification or GOI guidelines.
- e. The Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the PNB Regulations and as per the Proforma annexed to this notice. The entire notice inter alia comprising these Proforma is also available on the Bank's Website: www.pnbindia.in. (Investor Info Page)

Submission of nomination forms

Shareholders desirous of contesting the election of Director should submit following documents in the formats annexed to this notice, in a SEALED ENVELOPE to the Company Secretary, Punjab National Bank, Finance Division, Share Department, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001 together with the connected documents, complete in all respects, on a



दिनांक 14 जून, 2017 को सांय 5.00 बजे बैंक कार्य समय समाप्त होने से पूर्व पहुंच जाने चाहिए।

- क. विधिवत् रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र
- ख. चुनाव लड़ने के पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों की ओर से नामांकन
- ग. व्यक्तिगत सूचना, घोषणा तथा उसके साथ एक वचनपत्र जिनके साथ सम्बन्धित दस्तावेज, प्रमाण पत्र, होंगे जैसे कि व्यक्तिगत परिचय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आदि के प्रमाण पत्र इत्यादि !

नामांकनों की जांच और निदेशकों का चुनाव :

- (क) नामांकनों की जांच, नामांकनों की प्राप्ति के लिए नियत तिथि के बाद पहले कार्यदिवस 15.06.2017 को विस्तारित सरकार के दिशानिर्देश तथा आरबीआई अधिसूचना के शर्तों के अनुसार 'फिट एवं उचित" स्टेटस के साथ की जायेगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।
- (ख) यदि निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति के लिए केवल एक वैद्य नामांकन हो तो ऐसे नामांकितं उम्मीदवार को तुरन्त निर्वाचित हुआ समझा जायेगा एवं उसके नाम और पता निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। फिर भी निर्वाचित उम्मीदवार परिणाम घोषित होने के पश्चात ही कार्यग्रहण कर सकते हैं।
- (ग) हो रहे चुनाव के समय, यदि एक से अधिक वैध नामांकन हैं तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जायेंगे। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को चुना हुआ समझा जायेगा और उनके नाम बैठक में अध्यक्ष द्वारा घोषित किए जायेंगे और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जायेंगे। वह परिणाम की घोषणा के पश्चात के दिन से ही कार्यभार संभालेंगे।
- (घ) यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटान पीएनबी विनियमन के विनियम 67 के अनुसार किया जायेगा।

नामांकन वापिस लेना

यदि कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापिस लेना चाहता है तो वह ऐसा को दिनांक 16.06.2017 को सायं 5.00 बजे तक बैंक के बंद होने से पूर्व कर सकता है।

निदेशकों का हित

बैंक के कारोबार की उपर्युक्त मद में किसी भी निदेशकों का कोई हित नहीं है।

टिप्पणियाँ :

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने और मत देने के पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर उपस्थित होने और मत देने हेतु प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी पात्र होगा/होगी तथा ऐसी प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है लेकिन ऐसी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैंक का कर्मचारी या अधिकारी है, प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। बैठक में प्रॉक्सी पत्र के गारंटीकर्ता को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त की जाने वाली लिखत को प्रभावी करने के लिए, उसे शेयर

working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e., on or before closing hours of the Bank at **5.00 pm on 14**th **June, 2017.**

- a) Duly filled in Declaration Form;
- Nominations from minimum of 100 shareholders entitled to nominate in the elections;
- Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz., Bio Data, Certificates of Educational qualification, experience, etc.

SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTOR

- a. Nominations shall be scrutinized by the Nomination Committee of the Board on 15.06.2017 i.e. the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations, to ascertain the 'Fit and Proper' status in terms of the RBI Notifications and extant Government guidelines. In case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.
- b. If there is only one valid nomination for the one vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. However, the deemed elected candidate shall assume office only on the day after the declaration of result.
- c. In the event of an election being held, if the valid nominations are more than one, the names of the candidates shall be published in the news papers. The candidate polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and his/her name will be declared by the Chairman of the meeting after receipt of scrutinizer's report and will also be published in newspapers. He/She will assume office on the day after the declaration of result.
- If there is any dispute the same shall be settled as per Regulation 67 of the PNB Regulations.

Withdrawal of Candidature

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. on or before 5.00 pm on 16/06/2017.

INTEREST OF DIRECTORS

None of the Directors of Bank is interested in the aforementioned item of business.

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. No person shall be appointed as a Proxy who is an officer or an employee of the Bank. The grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting. The proxy in order to be effective,

विभाग, प्रधान कार्यालय 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001 में, बैठक की तारीख के कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् शनिवार 24 जून, 2017 को कारोबारी समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक जमा कर दी जाए। प्रॉक्सी फार्म का प्रारूप वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी ऐसा व्यक्ति, िकसी निगमित निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, तब तक बैंक की बैठक में उपस्थित होने या मत देने का पात्र नहीं होगा, जब तक उस बैठक , जिस में यह संकल्प पारित िकया गया है, के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने वाले संकल्प की सत्यप्रति प्रधान कार्यालय, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001 में स्थित पंजाब नैशनल बैंक के शेयर विभाग, वित्त प्रभाग में, बैठक की तारीख के कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् शनिवार, 24 जून, 2017 को कारोबारी समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक जमा कर दी जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैंक का कर्मचारी या अधिकारी है, प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास में उचित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें व वार्षिक आम बैठक स्थल पर इसे सुपुर्द करें।

4.. शेयरधारकों का रजिस्टर बन्द होना

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकों 23.06.2017 (शुक्रवार) से 29.06.2017 (बृहस्पतिवार) तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।

5. लाभांश का प्राप्त न होना

शेयरधारक कृपया नोट करें कि सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, यिद लाभांश राशि देय तिथि से 7 वर्षों तक बिना भुगतान दावा के रहती है, तब भुगतान न की गई कथित राशि भारत सरकार द्वारा गठित निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण फंड (आईईपीएफ) में अंतरित करनी होती है। अत: वित्त वर्ष 2009-10 (अंतिम), के लिए लाभांश खाते में अप्रदल्त/अदावाकृत राशि आईईपीएफ को अंतरित कर दी जायेगी। अत: वे शेयरधारक जिन्हें उक्त लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे अनुरोध है कि वे इसके लिए अपना दावा 27.07.2017 तक प्रस्तुत करें। उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर बैंक उन्हें देय राशि का भुगतान कर देगा। कृपया नोट करें कि अप्रदल्त राशि के आईईपीएफ खाते में अंतरण के पश्चात् बैंक के या आईईपीएफ के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत दावा नहीं किया जा सकेगा। 2009-10 (अंतिम) से आगे अप्रदल्त/अदावाकृत लाभांशों की वर्षवार सूची बैंक के वेबसाइट www.pnbindia.in के (निवेशकों की सूचना) के अंतर्गत अपलोड है।

6 शेयरधारकों से अनुरोध

(क) शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक के स्थल पर वितरित नहीं की जाएंगी। अत: शेयरधारकों/ प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे एतद्वारा भेजी जा रही वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति अपने साथ लाएं। वार्षिक रिपोर्ट, परिशिष्ट सहित बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर भी उपलब्ध की जा रही है। must be received by the Bank at the Finance Division, Share Department, Head Office, 5, Sansad Marg, New Delhi-110001 not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. on Saturday, the 24th June, 2017.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting as duly authorized representative of a body corporate, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Finance Division, Share Department, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. on Saturday, the 24th June, 2017. No person shall be appointed as an authorized representative, who is an officer or an employee of the Bank.

3. ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slipcum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to affix their signatures at the space provided on the enclosed Attendance Slip-cum-Entry Pass and surrender the same at the AGM venue.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Friday, the 23rd June 2017 to Thursday, the 29th June 2017 (both days inclusive).

5. NON RECEIPT OF DIVIDEND

Shareholders are also hereby informed that if any dividend amount remains unpaid/ unclaimed for 7 years from its due date, the said unpaid/unclaimed amount has to be transferred to Investor Education & Protection Fund (IEPF) set up by Central Government. As such, the unpaid/ unclaimed amount in Dividend Account for FY 2009-10 (Final) is due for transfer to IEPF. The shareholders who have not received/claimed the said dividend(s) are, therefore, requested to claim the same not later than 27.07.2017 by giving their latest address, Mobile/Telephone No. Folio No./ DP-ID & Client ID and Bank details viz. Bank name, branch address, Bank account no. and IFS code etc. for claiming the amount. Please note that once the unpaid amount is transferred to IEPF, no individual claim shall lie against the Bank. Year-wise list of unpaid/unclaimed dividend from 2009-10 (Final) onwards is uploaded on Bank's website www.pnbindia.in under 'Investors' Info'.

6. REQUEST TO SHAREHOLDERS

a) Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the meeting. Shareholders/ Proxyholders/Authorized Representatives are, therefore, requested to bring their copies of the Annual Report to the meeting. The Annual Report along with formats is being posted on the Bank's Website at www. pnbindia.in.



- (ख) 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट के लिए उन सभी शेयरधारकों को, जिनमें ई-मेल,आईडी, एसटीए में पंजीकृत हैं, इलैक्ट्रानिक प्रति भेजी जाएगी। डिपाजिटरी सहभागी जब तक कि किसी शेयरधारक द्वारा उनकी हार्ड प्रति न मांगी हो। जिन शेयरधारकों की ई-मेल पंजीकृत नहीं है उन्हें वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 की प्रति एक भौतिक रूप में भेजी जाएगी।
- (ग) 16वीं वार्षिक आम बैठक में नोटिस की इलैक्ट्रानिक प्रति जिसमें ई-वोटिंग की प्रणाली और व्यवहार अनुबंध, उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फार्म पत्राचार आदि उद्देश्य के लिए जिनकी जब तक िक कोई शेयरधारक भौतिक रूप से मांग न करें। सभी शेयरधारकों जिनकी ई-मेल आईडी एसटीए/डिपाजिटरी सहभागी के साथ पंजीकृत है शेयरधारक को ई-मेल पंजीकृत नहीं है उन्हें 16वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना भौतिक रूप में भेजी जाएगी जिसमें ई-वोटिंग की प्रणाली और व्यवहार अनुबंध, उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फार्म पत्राचार, घोषणा, अनुबन्ध, दर्शाया गया है।
- घ) शेयरधारक यह भी नोट करें कि 16वीं एजीएम/वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के नोटिस बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर भी डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। कार्य दिवसों पर सामान्य कारोबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपर्युक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रति शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, 5, संसद मार्ग, नयी दिल्ली-110001 बैंक के प्रधान कार्यालय में भी उपलब्ध होगी। इसके पश्चात् ई-कम्युनिकेशन, शेयरधारकों के लिए पंजीकरण भौतिक रूप में ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए फ्री आफ कास्ट डाक द्वारा विशेष अनुरोध करने पर प्राप्त करने के अधिकारी होंगें। शेयरधारक अपने अनुरोध को बैंक की ई-मेल आईडी : hosd@pnb.co.in पर भी भेज सकते हैं।
- (ड.) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक स्थल पर कोई उपहार/कृपन वितरित नहीं किया जाएगा।
- (च) कड़े सुरक्षा कारणों से ऑडीटोरियम के अंदर, ब्रीफकेस, खाने का सामान एवं अन्य वस्तुएं ले जाने की अनुमित नहीं है। बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सामान की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करें।

7. ई वोटिंग के माध्यम से वोट का अधिकार

बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक का कोई भी शेयरधारक, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त, उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल वोट के अधिकार के 10% से अधिक वोटिंग के अधिकार का हकदार नहीं होगा। यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर में पहले दर्ज होगा, उसे वोट देने के संबंध में एकल धारक माना जाएगा।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम 2015, शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने का पात्र है, और वे अपना वोट इलैक्ट्रानिक साधन द्वारा मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

- Electronic copy of the Annual Report for 2016-17 is being sent to all the shareholders whose email IDs are registered with the STA / Depository Participant(s) for communication purposes unless any shareholder has requested for a hard copy of the same. For shareholders who have not registered their email address, physical copies of the abridged Annual Report for 2016-17 are being sent in the permitted mode, separately.
- Electronic copy of the Notice of the 16th Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting along with Nomination forms, Declaration, Annexure, Attendance Slip and Proxy Form etc. is being sent to all the shareholders whose email IDs are registered with the STA/Depository Participants(s) for communication purposes unless any shareholder has requested for a hard copy of the same. For shareholders who have not registered their email address, physical copies of the Notice of the 16th Annual General Meeting of the Bank inter alia indicating the process and manner of e-voting along with Nomination form, Declaration, Annexure, Attendance Slip and Proxy Form etc. is being sent in the permitted mode.
- Shareholders may also note that the Notice of the 16th AGM and the Annual Report for 2016-17 will also be available on the Bank's website www.pnbindia.in for download. The physical copies of the aforesaid documents will also be available at the Bank's Head Office at Finance Division, Share Department, 5 Sansad Marg, New Delhi-110001 for inspection during normal business hours on working days. Even after registering for e-communication, shareholders are entitled to receive such communication in physical form, upon making a specific request, by post, free of cost. The shareholders may also send their requests to the Bank's email-id: hosd@pnb.co.in
- Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.
- f) Due to security reasons brief cases, eatables & other belongings are not allowed inside the auditorium. Persons attending the meeting are therefore advised to make their own arrangements for safe keeping of their articles.

7. EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH E-VOTING

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended) no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

मतदान प्रक्रिया

इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान

- सेबी (सूचीकरण अपेक्षायें एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमन 2015 के विनियम 44, स्टाक एक्स्चेजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसरण में और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित और यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम 2015 के प्रावधानों की अनुपालना में बैंक द्वारा शेयरधारकों को सैंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (भारत) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा अपनी इलैक्ट्रोनिक साधनों पर उपलब्ध कराये गये ई-वोटिंग के माध्यम से ईजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा दे रहा है। शेयरधारकों की ई-वोटिंग के लिए पात्रता निर्धारित करने की कट-आफ तिथि 22.06.2017 है।
- II. मतपत्र के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी बैठक में उपलब्ध होगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों जिन्होने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले अपना वोट नहीं किया है, मतपत्र के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।
- iii. वह सदस्य जिसने बैठक से पहले ही रिमोट ई वोटिंग द्वारा अपना वोट कर दिया है बैठक में भाग ले सकता है परंतु वह दुबारा अपना वोट करने के लिए पात्र नहीं है।
- iv. ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नवत् है :
 - i. ई-वोटिंग की अवधि 26.06.2017 (प्रात: 9.00 बजे) शुरू होगी और 28.06.2017 (सायं 5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी। इस अवधि में 22.06.2017 की कट आफ तिथि2 के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयरधारित करते हो या डिमेटेरियालाइज्ड रूप में अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप में डाल सकते हैं। ई वोटिंग के बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्युल हटा दिया जाएगा।
 - (ii) शेयरधारक, ई-वोटिंग के लिए वैबसाईट www.evotingindia. com पर लॉगिन करें।
 - (iii) "Shareholders" टैब पर क्लिक करें।
 - (iv) अब अपनी यूजर आईडी प्रविष्ट करें
 - क) सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों की लाभार्थी आईडी
 - ख) एनएसडीएल के लिए : 8 डिजिट की ग्राहक आईडी द्वारा अनुपालित 8 अंकों की डीपीआईडी
 - भौतिक रूप में शेयरधारिता करने वाले सदस्यों को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियों सं0 प्रविष्ट की जानी चाहिए।
 - इसके पश्चात प्रदर्शित इमेज सत्यापन दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
 - vi. यदि आप डीमैट रूप में शेयर धारित करते हैं और <u>www.</u> <u>evotingindia.com</u> पर लॉगिन किया है और किसी कंपनी के लिए पूर्व में वोटिंग किया है, तब मौजूदा पासवर्ड उपयोग में लाएं।

VOTING PROCESS

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

- I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreementwith Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered in the Meeting by electronic means through e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and voting at the general meeting. The Cut-off Date2 for determining the eligibility of shareholders to exercise remote e-voting and voting at general meeting is 22.06.2017.
- II. That the facility for voting shall also be made available at the meeting & members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.
- III. That the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. The instructions for remote e-voting are as under
 - i. The remote e-voting period begins on 26/06/2017 (9:00 am) and ends on 28/06/2017 (5:00 pm). During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date2 of 22.06.2017, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
 - The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com
 - iii. Click on "Shareholders" tab.
 - iv. Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
 - Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
 - vi. If you are holding shares in demat form and had logged on to <u>www.evotingindia.com</u> and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.



vii. यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों की अनुपालना करें:

	डीमैट रूप और भौतिक रूप में शेयरधारण करने वाले
	सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया अपना 10 अंकों का एल्फा न्यूमेरिक *पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारक दोनों के लिए लागू)
	 सदस्य जिन्होंने कम्पनी / डिपाजिटरी सहभागी के साथ अपना पैन न0. अद्यतन नहीं किया है से अनुरोध है कि पैन फील्ड में अपने नाम के पहले दो अक्षरों और क्रम स0.के 8 अंकों का उपयोग करें।
	 यदि क्रम संख्या 8 अंकों से कम है तो कैपिटल लैटरस में नाम के पहले 2 अक्षरों के बाद लागू संख्या जीरो दर्ज करें जैसे यदि क्रम स0.1 के साथ आपका नाम रमेश कुमार है तो पैंन फील्ड में आरए00000001 दर्ज करें।
जन्म तिथि	अपने डीमैट खाते या कथित खाते या फोलियो के लिए कंपनी रिकार्ड में दर्ज जन्म तिथि दिन/ माह/ वर्ष प्रारूप में दर्ज करें।
ब्यौरा या	या तो लाभांश बैंक ब्यौरा या जन्मतिथि (दिन/ माह/ वर्ष) अपने डीमैट खाते या कथित खाते या फोलियो के लिए कंपनी रिकार्ड में दर्ज लाभांश बैंक ब्यौरा दर्ज करें।
	 यिद यह दोनों ब्यौरा कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ दर्ज नहीं है, कृपया डिविडेंड बैंक डिटेल्स फील्ड में सदस्य आईडी /फोलियो संख्या दर्ज करें जैसा कि मद स0. (iv) में विर्णित है।

- viii. इन ब्यौरों को उचित प्रकार से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।
- ix. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य सीधे कंपनी सलेक्शन स्क्रीन पर जाएंगें तथापि डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य पासवर्ड क्रिएशन विकल्प में जाएंगें जिसमें उनसे नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करना अपेक्षित है। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के संकल्पों के लिए वोटिंग हेतु डीमैट धारकों द्वारा किया जाना है, जिस पर वे वोटिंग के लिए पात्र है बशर्ते कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई-वोटिंग चुनें। यह दृढतापूर्वक सुझाव दिया जाता है कि किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में सावधानी बरतें।
- प्र. भौतिक रूप मे शेयरधारण करने वाले सदस्यों के लिए, ब्यौरे का उपयोग इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है।
- xi. पंजाब नैशनल बैंक के लिए EVSN पर क्लिक करें जिस पर वोट करने के लिए चुनते हैं।
- xii. वोटिंग पेज पर, आपको "RESOLUTION DESCRIPTION" दिखेगा और इसके विपरीत वोटिंग के लिए "YES/NO" विकल्प दिखेगा। ऐच्छिक विकल्प "YES/NO" चुनें। आप संकल्प के समर्थन में है और विकल्प NO का तात्पर्य है कि आप संकल्प के विरूद्ध है।

vii. If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field.
	 In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login.
	If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

- viii. After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- ix. Members holding shares in physical form will then reach directly the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- x. For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- Click on the EVSN for Punjab National Bank on which you choose to vote.
- xii. On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

- xiii. यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरा देखना चाहते हैं तो "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करें।
- xiv. संकल्प चयन के पश्चात् आपने उस पर वोट करने का निर्णय लिया, "SUBMIT" पर क्लिक करें। पुष्टि बाक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपना वोट सुनिश्चित करना चाहते हैं, OK पर क्लिक करें लेकिन वोट बदलने के लिए "CANCEL" क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।
- xv. एक बार आपने संकल्प पर अपना "CONFIRM" कर दिया तो आपको अपना वोट बदलने की अनुमित नहीं होगी।
- xvi. आप वोटिंग पेज पर "Click here to print" पर क्लिक करके स्वयं द्वारा की गयी वोटिंग का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
- xvii. यदि डीमैट खाताधारक परिवर्तित पासवर्ड भूल गया हो तब यूजर आईडी और इमेज सत्यापन कोड दर्ज करें और Forgot Password पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा तैयार किया गया ब्यौरा दर्ज करें।
- xviii सीडीएसएल का प्रयोग करके शेयरधारक एंड्रोयड आधारित मोबाईल पर एम-वोटिंग से भी अपना वोट दे सकते हैं। एम वोटिंग एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल और विंडोज फोन के उपयोगकर्ता क्रमश: एप स्टोर व विंडो फोन स्टोर से एप डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अपने मोबाईल से वोट करते समय मोबाईल एप पर प्रदर्शित निर्देशों की अनुपालना करें।

xix. गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों एवं कस्टोडियन्स के लिए नोट :

- गैर-वैयक्तिक शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और कस्टोडियन से अपेक्षित है
 कि https://www.evotingindia.com पर लॉगिन करें और स्वयं को कारपोरेट्स के रूप में पंजीकृत करें।
- उपक्रम का स्टाम्प और हस्ताक्षर सिंहत पंजीकरण फार्म की स्कैन कापी <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> को मेल करना चाहिए।
- लॉगिन ब्यौरा प्राप्त होने के बाद कम्प्लाएंस यूजर द्वारा उपयोग की जाने वाली एडिमिन लागिन और पासवर्ड सृजित करना चाहिए/कम्प्लाएंस यूजर खाता (तों) जिसके लिए वे वोट करने के इच्छ्क हैं को लिंक करने में सक्षम होगा।
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट देने के लिए सक्षम होंगें।
- उन्हें बोर्ड संकल्प और पावर आफ एटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति अपलोड करनी चाहिए जिसे उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है, इसे सत्यापित करने के लिए संवीक्षक हेतु सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ या मामले के लिए, आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") और help section के अंतर्गत www. evotingindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल लिख सकते हैं।

नाम – श्री राकेश डाल्वी पदनाम – उप प्रबन्धक

पता - सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लि. ई-मेल - helpdesk.evoting@cdslindia.com

दरभाष - 18002005533

- xiii. Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- xiv. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xvi. You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- xvii. If a Demat account holder has forgotten the changed password then enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- xviii. Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

xix. Note for Non-Individual Shareholders & Custodians:

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to https://www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u>.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin log-in & password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

In case you have any queries or issues regSArding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com . The contact details of official for e-voting are as follows:

Name - Mr. Rakesh Dalvi Designation - Deputy Manager

Address - Central Depository Services (India) Ltd.

e-mail ID - helpdesk.evoting@cdslindia.com

Phone no. - 18002005533



- V. यदि आप सीडीएसएल के साथ ई-वोटिंग के लिए पहले ही पंजीकृत हैं तब आप मतदान के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड/पिन का उपयोग कर सकते हैं।
- VI. आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल में अपना मोबाइल नं. और ईमेल आईडी भी अद्यतन कर सकते हैं जिसका उपयोग भविष्य में किये जाने वाले पत्राचारों के लिए किया जा सकता है।
- VII. ई-वोटिंग की अवधि 26.06.2017 (प्रात: 9.00 बजे) शुरू होगी और 28.06.2017 (सायं 5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी। इस अवधि में कट आफ तिथि2 के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयरधारित करते हो या डिमैटेरियलाइज्ड रूप में अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप में डाल सकते हैं। ई वोटिंग के बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा दिया जाएगा। शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर मतदान करने के पश्चात् शेयरधारक को इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- VIII. शेयरधारक वोटिंग का केवल एक मोड अर्थात् या तो एजीएम में उपस्थित होकर भौतिक रूप में या ई-वोटिंग का विकल्प चुन सकता है। यदि कोई शेयरधारक ई-वोटिंग का विकल्प चुनता है तो वह एजीएम में भौतिक रूप में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- IX. चूंकि केवल एक शेयरधारक का चुनाव है इसलिए एक से अधिक निदेशक के लिए वोट नहीं दिया जा सकता अन्यथा वोट अवैध होना चाहिए।
- X. उपरोक्त के विषयाधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक जो कट ऑफ तिथि2 तक एक पंजीकृत शेयरधारक है वह अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट दे सकते है।
- XI. मै. आशु गुप्ता एंड कंपनी (ई-मेल आईडी agc.scrutinizer@gmail.com) में कार्यरत सुश्री आशु गुप्ता कंपनी सचिव (सदस्या संख्या F4123, CP No. 6646) को बैंक द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।
- XII. संवीक्षक, आम बैठक के दौरान हुई वोटिंग के तुरंत बाद डाले गए वोटों की गिनती करेगा तत्पश्चात् दो (2) साक्ष्यों की उपस्थिति में जो बैंक के नियोजन में न हों, वोट अनब्लॉक करेगा और बैठक के अध्यक्ष को या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को पक्ष या विपक्ष में डाले गये वोट की यदि कोई हो, लिखित रिपोर्ट बैठक के अध्यक्ष को एजीएम की समाप्ति के 48 घंटो के अन्दर प्रस्तुत करेगा या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत एक व्यक्ति प्रति हस्ताक्षर करेगा। अध्यक्ष या प्राधिकृत व्यक्ति वोटिंग के परिणामो की घोषणा करेगा।
- XIII. संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणामों की घोषणा, बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर और सीडीएसएल की वेबसाइट पर अध्यक्ष द्वारा परिणाम घोषित किया जाएगा।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार कृते **पंजाब नैशनल बैंक**

सभील मेहता

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 16.05.2017 प्रबन्ध निदेश

(सुनील मेहता)

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

- V. If you are already registered with CDSL for e-voting earlier then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.
- You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
- VII. The remote e-voting period commences on 26/06/2017 (9:00 am) and ends on 28/06/2017 (5:00 pm). During this period, shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off Date2 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- VIII. Shareholders can opt for only one mode of voting, i.e. either physically by attending AGM or remote e-voting. If any shareholder opts for remote e-voting, he will not be eligible to vote physically in AGM.
- IX. As the election is for one Shareholder Director only, vote be cast for not more than one Director else the votes cast shall be treated as invalid.
- X. Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut-off Date2 shall have one vote for each share held by him/her.
- XI. Ms. Ashu Gupta, Practising Company Secretary (Membership No. F4123, CP No. 6646) of M/s Ashu Gupta & Co. (email ID – agc.scrutinizer@gmail.com) has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- XII. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank. The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the AGM and the Chairman or a person authorised by him in writing who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.
- XIII. The Results along with the Consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website <u>www.pnbindia.in</u> and on the website of CDSL immediately after the result is declared by the Chairman.

By order of the Board of Directors

for PUNJAB NATIONAL BANK

Place: NEW DELHI

Date: 16.05.2017

(Sunil Mehta)

Managing Director & CEO